

प्रेस नोट दिनांक 06.06.2022

थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।

थाना सुभाषनगर #bareillypolice द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नगर बरेली के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर द्वितीय बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुनील अहलावत थाना सुभाषनगर द्वारा मय फोर्स के मु0अ0सं0 345/2022 धारा 302 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर बरेली से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त ज्योति पत्नी स्व0 संजय गुप्ता नि0 वैष्णोधाम कालोनी निकट बीडीए कालोनी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली व प्रकाश में आये अभियुक्त अब्बास पुत्र मो0 मियां नि0 बिहारीपुर किशोर बाजार थाना कोतवाली जनपद बरेली को आज दिनांक 06.06.2022 को समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया । प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है ।

विवरण:- वादी की सूचना के आधार पर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साले संजय गुप्ता उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व0 बाबूराम गुप्ता नि0 वैष्णोधाम कालोनी निकट बीडीए कालोनी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली की जौहरी लाल पुत्र कल्याण के मकान में हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 345/2022 धारा 302 भादवि दिनांक 02.06.2022 को थाना सुभाषनगर पर पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगणों से पूछताछ पर जानकारी हुई कि अभियुक्त ज्योति का पति संजय गुप्ता बेवजह शक के आधार पर मारता पीटता था, इसलिए ज्योति के अवैध सम्बन्ध बिहारीपुर किशोर बाजार के रहने वाले अब्बास से हो गये । वह अपने पति से तंग आकर दिनांक 17.11.2021 को अब्बास के साथ भाग गयी थी । जिसकी रिपोर्ट संजय गुप्ता ने थाना कोतवाली में लिखा दी । कुछ दिनों बाद ज्योति वापस घर आ गयी और आपस में समझौता हो गया लेकिन बाद में ज्योति और अब्बास के बीच प्रेम सम्बन्ध अधिक मजबूत हो गये और आपस में फिर से मिलने लगे । ज्योति के पति वैष्णोधाम कालोनी में अपना मकान बनवा रहे थे, वही पर ज्योति अपने पति के साथ आकर किराये पर रहने लगी । परन्तु यहां पर भी ज्योति और अब्बास का मिलना जुलना जारी रहा । इसकी जानकारी संजय गुप्ता को हुई तो वह रोकटोक करने लगा । जिससे तंग आकर ज्योति और अब्बास ने मिलकर संजय गुप्ता को मारकर रास्ते से हटाने की योजना बनाई । इसी योजना को अंजाम देने के लिए अब्बास ने ज्योति को नींद की गोली लाकर दी । जिसे उसने दिनांक 01.06.2022 को शाम की सब्जी में मिलाकर अपने पति संजय गुप्ता को खिला दिया । जिससे उन्हें नींद आने लगी और वह नीचे मकान के दरवाजे में ताला लगाने नहीं गये और ज्योति से ताला लगाने की बात कहकर तख्त पर ही सो गये । ज्योति ने जब देखा की मेरे पति गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसने घटना को अंजाम देने के लिए अब्बास को मेसेज करके बुला लिया और दोनों ने मिलकर संजय गुप्ता की गर्दन में दुपट्टे से फंदा लगाकर कस दिया । जिससे संजय बेसुध हो गया परन्तु शरीर से तगड़ा होने के कारण फंदे में हाथ लगाकर उसने उठना चाहा और हाथापाई की परन्तु तख्त के नीचे गिर गया तो अब्बास ने वही पर पास में पड़ी लकड़ी की फट्टी उठाकर संजय के सिर में व शरीर में कई वार कर दिये जिससे संजय की मृत्यु हो गयी ।

अभियुक्तगण का विवरण:-

1. ज्योति पत्नी स्व0 संजय गुप्ता नि0 वैष्णोधाम कालोनी निकट बीडीए कालोनी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
2. अब्बास पुत्र मो0 मियां नि0 बिहारीपुर किशोर बाजार थाना कोतवाली जनपद बरेली ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 457/2021 धारा 366 आईपीसी थाना कोतवाली बरेली । (अन्तिम रिपोर्ट सं0 173/21 दिनांक 11.12.2021)
2. मु0अ0सं0 345/2022 धारा 302 भा0द0वि0 थाना सुभाषनगर बरेली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO श्री सुनील अहलावत थाना सुभाषनगर बरेली
2. व0उ0नि0 श्री जोखन यादव थाना सुभाषनगर बरेली
3. का0 3916 राजकुमार थाना सुभाषनगर बरेली
4. का0 3015 अमित कुमार थाना सुभाषनगर बरेली
5. का0 1323 बलवेन्द्र सिंह थाना सुभाषनगर बरेली
6. म0का0 3446 बबीता थाना सुभाषनगर बरेली